व कांवलिया खुर्द के खसरा संख्या 676, 431, 356 की आई हुई है। चूंकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में दौराने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि ताफैसला वाद उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाने हेतु सहमति जाहिर की है। उभयपक्षकारान ने सहमति हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **उभयपक्षकारान** को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायला अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कांवलिया कलां के खसरा संख्या 62, 59, 134 सरहद मौजा कांवलिया कलां क खसरा संख्या 366, 367, 489, 503, 535, 397, 411, 426, 554 मीन, 604, 470, 336 व सरहद मौजा कांवलिया खुर्द के खसरा संख्या 676, 431, 356 की आई हुई है में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)